<u>कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गाजीपुर ।</u>

पत्रसंख्या- सो0मी0- स0कार्य/2022 **दिनांक 01/02/2026**

सेवा में,

पुलिस उपाधीक्षक/स्टॉफ ऑफिसर
अपर पुलिस महानिदेशक,
वाराणसी जोन, वाराणसी, उ0प्र0 ।

कृपया पत्र संख्याः41/छः-पु-3/2020,दिनांकः04/06/2020 का (छायाप्रति संलग्न) के परिपेक्ष्य में आप अपने पत्र संख्या सोशल मीडिया-(18/2020 का अवलोकन करें, जो पुलिस विभाग एवं उसकी अन्य इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यों एवं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किये जाने विषयक है ।

कृपया

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के संबंध में **दिनांक 31.01.2026** की संबंधित सूचना निम्नवत् है-

<u>01.</u> "श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान "OPERATION CONVICTION" के अन्तर्गत मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा लगातार प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप मा0 न्यायालय द्वारा दिलाई गयी सजा ।"

दिनांक 31.01.2026 को मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन के प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप थाना दिलदारनगर जनपद गाजीपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 64/ 2023 धारा 302/34 भादवि से सम्बन्धित प्रकरण में मा0 न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध करते हुए कुल 04 नफर अभियुक्तगण 1.नौशाद खाँ पुत्र ऐनुद्दीन खाँ 2. इरफान खाँ पुत्र ऐनुद्दीन खाँ 3. ऐनुद्दीन खाँ पुत्र मैनुद्दीन खाँ 4. माहेनूर निशा उर्फ मेहरुन्निशां पत्नी नौशाद खाँ समस्त निवासीगण दिलदरनगर थाना दिलदारनगर जनपद गाजीपुर । अभियुक्तगण उपरोक्त प्रत्येक को आजीवन कारावास व 20-20 हजार रुपये कुल (80,000/-) रुपये का अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।

02. थाना सुहवल पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 14/2026 धारा -281,105 बीएनएस से संबंधित 01 नफर वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।

अपराध एवम् अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम दिनांक 31.01.2025 को प्रभारी निरीक्षक सुहवल धर्मेंद्र पांडेय मय हमराह द्वारा कि मुखबिर खास की सूचना पर ढढनी तिराहे के पास से मु0अ0सं0 14/2026 धारा -281,105 बीएनएस में वांछित अभियुक्त धर्मेन्द्र कुमार राम उम्र करीब 34 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

धर्मेन्द्र कुमार राम पुत्र लालचन्द्र राम निवासी ग्रा0 बेमुआ थाना सुहवल जनपद गाजीपुर उम्र करीब 34 वर्ष थाना सुहवल जनपद गाजीपुर

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 14/2026 धारा -281,105 बीएनएस थाना- सुहवल, जनपद- गाजीपुर

03. **थाना करंडा पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 15/2026 धारा 85, 80(2), 352 BNS व 3/4 DP ACT से संबंधित 02 नफर अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार**

अपराध व अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 31.01.2026 को उ0नि0 श्री अरुण पाण्डेय मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र के दौरान मुखबिर खास कि सूचना पर मु0अ0सं0 15/2026 धारा 85, 80(2), 352 BNS व 3/4 DP ACT थाना करण्डा जनपद गाजीपुर से सम्बन्धित 02 नफर अभियुक्तगण 1.अजय यादव व अंगद सिंह यादव को बयेपुर मड़ई तिराहे से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण के विरूद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

1.अजय यादव पुत्र अंगद सिंह यादव निवासी ग्राम बयेपुर मड़ई थाना करण्डा जनपद गाजीपुर,

2.अंगद सिंह यादव पुत्र रामनाथ सिंह यादव निवासी ग्राम बयेपुर मड़ई थाना करण्डा जनपद गाजीपुर

आपराधिक इतिहास अभियुक्तगण –

1.अजय यादव पुत्र अंगद सिंह यादव निवासी ग्राम बयेपुर मड़ई थाना करण्डा जनपद गाजीपुर

मु0अ0सं0 15/2026 धारा 85, 80(2), 352 BNS व 3/4 DP ACT थाना करण्डा जनपद गाजीपुर

2.अंगद सिंह यादव पुत्र रामनाथ सिंह यादव निवासी ग्राम बयेपुर मड़ई थाना करण्डा जनपद गाजीपुर

मु0अ0सं0 15/2026 धारा 85, 80(2), 352 BNS व 3/4 DP ACT थाना करण्डा जनपद गाजीपुर

पुलिस अधीक्षक
गाजीपुर